उश्र से खेती की लागत को अलग करने का मसअला

उश्र से सम्बन्धित छटे सेमिनार में इस सवाल पर भी ग़ौर हुआ कि खेती के आधुनिक तरीक़ों में खेती पर आने वाला ख़र्च पहले के मुक़ाबले बहुत बढ़ गया है, तो क्या किसानों का बोझ कम करने के लिए उश्र निकालने से पहले खेती के ख़र्चों को कुल पैदावार से अलग किया जा सकता है?

इस सिलसिले में सेमिनार में शामिल लोगों का मत है कि शरीअत ने सिंचाई वाली खेती और बिना सिंचाई की खेती के आधार पर उश्र का अनुपात तय कर रखा है, और यह मन्सूस (स्पष्ट तयशुदा तादाद) है। खेती पर आने वाले दूसरे ख़र्चों को शरीअत ने नहीं माना है, इसलिए इस हुक्म में अक़्ल और क़ियास की गुंजाईश नहीं है, और निर्धारित मात्रा में बदलाव का हक़ किसी को नहीं है। इसी के साथ साथ यह हक़ीक़त भी है कि आधुनिक तरीक़ों से की जाने वाली खेती में जहां ख़र्च अधिक होता है, वहीं उसकी पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है। इसलिए सेमिनार में घोषणा की गयी कि:

1- आधुनिक तरीक़ों से की जानेवाली खेती में ख़ाद या दवाओं से बढ़ने वाले ख़र्चे असल पैदावार से नहीं निकाले जाएंगे।

2- इमाम अबू हनीफ़ा और कुछ दूसरे फ़िक़्ही इमामों का मत है क़ुरआन की आयतें और सम्बन्धित हदीसों के अनुसार उश्र वाजिब होने के लिए पैदावार का कोई निसाब (निर्धारित मात्र) नहीं है। ज़मीन से पैदा होने वाली चीज़ चाहे थोड़ी मात्रा में हो या ज़्यादा उसमें से उश्र निकालना वाजिब होगा। इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद और दीगर ज़्यादातर इमामों के नज़दीक ''हदीस पांच वसक़ के सिवा सदक़ा नहीं'' की रौशनी में अगर पैदावार पांच वसक़ (6 कुंटल और 53 किलो ग्राम) से कम हो तो उसपर उश्र वाजिब नहीं हैं। इस लिए सेमिनार का मत है कि छोटे किसान कम पैदावार की वजह से या क़ुदरती आफ़त से फ़सल बर्बाद हो जाने की वजह से तंगी में घिर जाते है। इस लिए ऐसे हालात में किसी किसान की कुल पैदावार पांच वसक़ से कम हो तो इमाम मुहम्मद आदि की राय पर अमल करते हुए अगर कोई ज़रूरत मंद व्यक्ति उसपर उश्र न निकाले, बल्कि पूरी पैदावार को अपने इस्तेमाल में लाना चाहे तो उसके लिए ऐसा करना जायज़ होगा। कुछ लोगों का यह कहना है कि अगर पैदावार पांच वसक़ से कम हो, और किसान की आमदनी का कोई दूसरा ज़रिया भी न हो तो केवल इसी स्थिति में ऐसा करने की गुंजाईश है।

☆☆☆